संख्या-30/2016/526/सैंतीस-2-2016-1(68)/12टीसी

प्रेषक,

रणविजय सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-29 मार्च, 2016

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपद आजमगढ़ में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-93/नियोजन/29(9)/वि.म./2015-16, दिनांक-23.02.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-10-जनपद आजमगढ़ में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना-24-वृहत् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रश्नगत महाविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि अर्जन/भूमि क्रय किये जाने के लिए रू0-100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय उपलब्ध परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30.03.2015 तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि को आहरण हेतु, यदि जनपद स्तर पर आहरण-वितरण अधिकारी हो तो, संबंधित जनपदों को आवंटित किया जाय। किसी भी दशा में स्वीकृति धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में जमा न किया जाय तथा जिस कार्य के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है, उसी कार्य में धनराशि का व्यय किया जाय। इससे इतर व्यय अनियमितता होगा जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का होगा।
4. उपर्युक्त स्वीकृति ही अकेले ऐसे किसी व्यय को करने का प्राधिकार नहीं देता है जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों अथवा अन्य स्थायी आदेश के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसे व्यय करने से पूर्व शासन को पूर्ण औचित्य सहित प्रस्ताव भेजकर स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-10-जनपद आजमगढ़ में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दि0-30.03.2015 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(रणविजय सिंह)
उप सचिव।

<u>प्र0सं0-30/2016/526(1)/सैंतीस-2-2016- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
5. संबंधित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3 ।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रणविजय सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।